मिसाइल इत्यादि संबंधी जी एस टी दर की योजना

क्र.सं.	अध्याय/शीर्षक /	वस्तु का विवरण	एस जी एस टी	सी जी एस टी	आई जी एस टी	जी एस टी
	उप शीर्षक /		दर	दर	दर	क्षतिपूर्ति 'सेस'
	टैरिफ मद					दर \$
1	9301	रिवाल्वर, पिस्टल से इतर				
		सेना अस्त्र	9%	9%	18%	शून्य
2	9303	अन्य अग्नि अस्त्र तथा				
		उसी प्रकार के उपकरण				
		जो किसी विस्फोटक चार्ज				
		द्वारा चलाये जाते हैं।				
		(उदाहरण के लिए स्पोर्टिंग				
		शॉटगन, राइफल, मुजल-				
		लोडिंग अग्निअस्त्र,				
		सिगनल फ्लेर छोड़ने के				
		लिए अभिकल्पित पिस्टल				
		व अन्य उपकरण, खाली				
		अस्त्रों की फाइरिंग के				
		लिए पिस्टल व रिवाल्वर,				
		कैप्टिव-बोल्ट हयूमने				
		किलर,लाइन-थ्रोइिंग गन।	9%	9%	18%	शून्य
3	9304	अन्य अस्त्र (उदाहरण के				
		लिए स्प्रिंग, वायु या गैस				
		गन तथा पिस्टल,				
		ट्रंचियन्स), शीर्षक 9307				
		में उल्लिखित सहित	9%	9%	18%	शून्य
4	9305	9301 से 9304 शीर्षक के				
		अंतर्गत उल्लिखित				
		उपकरणों के भाग और				
		उपसाधन	9%	9%	18%	श्र्न्य
5	9306	बम, ग्रेनेड, टॉरपिडो,				
		खदान, मिसाइल तथा				
		अन्य युद्ध तथा तत्संबंधी				
		उपसाधन। शॉट व				
		कैटरिङ्ज वाड सहित				
		कैटरिङ्ज तथा अन्य				
		अस्त्र तथा उनके				
		प्रोजेक्टाइल व भाग।	9%	9%	18%	शून्य
6	9307	तलवार, कट-लेसेस, बेनेट,				
		लेन्स तथा उसी प्रकार के				
		अस्त्र व उनके उपकरण				
		तथा उनके स्केब्बर्ड व				
		उनके शेथ्स	9%	9%	18%	श्र्न्य
7	9302	9303 या 9304 में				
		उल्लिखित के अतिरिक्त				
		रिवाल्वर तथा पिस्टल	9%	9%	28%	शून्य

टिप्पणी : उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 5 तक के लिए संदर्भ लें :

- * दि. 29 जून, 2017 की जी ओ एम एस सं. 110 की अनुसूची।।। की क्रमसंख्याएँ 430 से 435 अधिसूचना संख्या 01/2017 तेलंगान राज्य का राज्य कर (दर), राजस्व (वाणिज्यिक कर ॥) विभाग.
- ** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची।।। की क्रम संख्याएँ 430 से 435 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का केंद्रीय कर दर.
- *** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची॥ की क्रमसंख्याएँ 430 से 435 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून 2017 का एकीकृत कर दर.
- \$ अधिसूचना संख्या 1/2017 की क्रम संख्या 56 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का क्षतिपूरक 'सेस' दर.

उपर्युक्त क्र.सं. 6 के लिए संदर्भ

- * दि. 29 जून, 2017 की जी ओ एम एस सं. 110 की अनुसूची IV की क्रम संख्या 210 अधिसूचना संख्या 01/2017 तेलंगान राज्य का राज्य कर (दर), राजस्व (वाणिज्यिक कर II) विभाग.
- ** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची V की क्रम संख्या 210 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का केंद्रीय कर दर.
- *** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूची। V की क्रम संख्या 210 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का एकीकृत कर दर.
- \$ अधिसूचना संख्या 1/2017 की क्रम संख्या 56 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का क्षतिपूरक 'सेस' दर.